



भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग,
कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई

फोन: 022-2282 0427, ईमेल: crpd@sbi.co.in



AWARDS & ACCOLADES



SBI was awarded the "Company of the Year Award – 2023" by the ET Awards for Corporate Excellence 2023 on 15.03.2024.



SBI Featured among the **top 25 strongest Brands globally** for 2024 – Brand Finance Annual Report on most valuable and **Global Brands – Global 500 2024**. (19.01.2024)



SBI Chairman was honoured with the **Indian of the year award (IOTY) 2023** in the business category at **CNN – News 18 awards** on 10.01.2024.



SBI was recognized as the "Best Bank in India" for the year 2023 by **Global Finance Magazine** at its 30th Annual Best Banks Awards event. The award ceremony took place in Marrakech, **Morocco** during the occasion of 2023 IMF/WB Annual Meetings held from 9th to 15th October 2023.



Most trusted BFSI Brands 2023-24, on 21.06.2023, by the Economic Times Group.



Won 4 awards at **DIGIXX 2024 Summit & Awards** on 22.03.2024 at New Delhi.

- Brand of the Year
- Best Influencer marketing Campaign
- best use of Social Media
- PR/ Online Reputation Management



SBI received the "Iconic Banking Brand" award at the 3rd edition of **Navbharat BFSI 2023** presented by the Honorable Speaker of Maharashtra Legislative Assembly on 13.01.2024



SBI received the Top Performing Bank award under **EASE 5.0** of PSBs Reforms Agenda.



Dunn & Bradstreet Award in the Category – **PSU Banks over 4 lacs crore assets** size at the PSU & Government Summit 2023 on 07th October 2023.



SBI received the "India's Best Annual Report Awards 2023" award



SBI received the "ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting" award

नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती

विज्ञापन सं. CRPD/SCO/2024-25/02

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान: दिनांक 07.06.2024 से 27.06.2024 तक

भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग के निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers/current-openings> में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

- पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब बैंक में ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि या उससे पहले शुल्क जमा करवा दिया गया हो।
- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि पर उक्त पद के लिए दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों।
- उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज (जीवन वृत्त, पहचान का प्रमाण, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि अपलोड करने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर उनके आवेदन/उम्मीदवारी पर शॉर्टलिस्टिंग/साक्षात्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- चयनित सूची दस्तावेजों के सत्यापन के बिना अनंतिम होगी। साक्षात्कार के समय (यदि बुलाया जाता है तो) उम्मीदवार द्वारा मूल प्रतियों सहित सभी विवरणों/प्रलेखों का सत्यापन करवाए जाने पर ही उसकी उम्मीदवारी मानी जाएगी।
- यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और यदि वह पात्रता मानदंडों (आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि) को पूरा नहीं करता/करती है तो उसे न तो साक्षात्कार में उपस्थित होने दिया जाएगा और न ही वह यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> को विवरणों एवं नई जानकारी (शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों की सूची सहित) हेतु देखें। बुलावा (लेटर/सूचना), जहां आवश्यक हो, केवल ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। (कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी)।
- सभी संशोधन/शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) केवल बैंक की उपर्युक्त वेबसाइटों पर ही अपलोड किए जाएंगे।
- यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ अंक पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा।
- इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ न भेजें।

क. पद/रिक्तियों/पदस्थापन का संभावित स्थान/चयन प्रक्रिया का विवरण:

क्र. सं.	पद का नाम	श्रेणी-स्केल	रिक्तियाँ					पीडब्ल्यूबीडी*	01.02.2024 को आयु वर्षों में#		\$ पदस्थापन का संभावित स्थान	चयन प्रक्रिया
			रिक्तियाँ	अ.जा.	अ.पि.व.	यूआर	कुल		न्यूनतम	अधिकतम		
1	सनदी लेखाकार (विशेषज्ञ) (एमएमजीएस-II)	मध्य प्रबंधन श्रेणी - वेतनमान - II	नियमित	1	2	6	9	1	25	35	मुंबई	शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार
			पिछले बकाया	0	0	0	0	1				
			कुल	1	2	6	9	2				

*(समस्तरीय रिक्तियाँ)

संक्षेपाक्षर: अ.जा. - अनुसूचित जाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग; यूआर - अनारक्षित; पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार; वीआई - दृष्टि बाधित;

\$ तैनाती (पोस्टिंग) का सुझाया गया स्थान सांकेतिक है, बैंक भारत में भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी कार्यालय में सेवा के लिए तैनात करने या स्थानांतरित करने या अपने किसी सहयोगी/सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था को सेवाओं आवश्यकता के आधार पर प्रतिनियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आरक्षित श्रेणी के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

* दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34, संदर्भित [बेंचमार्क दिव्यांगजन (PwBD)] के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा प्रमाणपत्र सत्यापन/पुनः सत्यापन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा भी तय किया जाए, के अधीन होगा। प्रमाणपत्र पर आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख या उससे पहले की तारीख होनी चाहिए।

ख. शैक्षणिक योग्यता/योग्यता के बाद के अनुभव आदि आवश्यकताओं का विवरण:

शैक्षणिक योग्यता (01.02.2024 तक)	योग्यता के पश्चात् कार्य अनुभव (01.02.2024 तक)
सनदी लेखा-शास्त्र (उत्तीर्ण) (अधिमानत: एक प्रयास में)	> योग्यता के बाद किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/एफआई/कॉर्पोरेट में पर्यवेक्षी क्षमता में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव

ग. ग्रेड और पारिश्रमिक:

ग्रेड	वेतनमान*	टिप्पणियाँ
मध्य प्रबंधन श्रेणी - वेतनमान - II	रुपए (48170-1740/1-49910-1990/10-69810) *वेतनमान में संशोधन होना है और यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगा।	अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन निधि अर्थात् एनपीएस, छुट्टी किराया रियायत, चिकित्सा सुविधा, अन्य परिलब्धियाँ आदि के लिए पात्र होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है।
- विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है। उम्मीदवार को निर्दिष्ट तिथियों के अनुसार योग्यता और प्रासंगिक पूर्णकालिक अनुभव होना चाहिए।
- बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, जिनके लिए कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, सहित आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियाँ 'गैर-क्रीमी लेयर' से संबंधित ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर में आने वाले उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी भी छूट/आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी को सामान्य या सामान्य (VI), जैसा भी मामला हो, के रूप में इंगित करना चाहिए।
- ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में 01.04.2024 से साक्षात्कार की तारीख तक की अवधि के दौरान जारी ओबीसी प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए जिसमें गैर-क्रीमी लेयर खंड हो। उक्त तारीख के बाद 'आय और संपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- vii. अजा/अजजा/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
- viii. नियोक्ता से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव है।
- ix. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे।
- x. इंगित अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी (जहां लागू हो)।
- xi. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xii. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समस्तरीय है और संबंधित मूल श्रेणी की रिक्ति में शामिल है।
- xiii. केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र होंगे। 'निर्धारित अशक्तता वाले व्यक्ति' से आशय उस व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट अशक्तता का कम से कम 40 प्रतिशत अशक्त हो, उन मामलों में जहाँ विनिर्दिष्ट अशक्तता को मापन श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के प्रमाणन के अनुसार इसके अंतर्गत वह अशक्त व्यक्ति भी आता है जिसकी अशक्तता को मापन श्रेणी में रखा गया है। दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित श्रेणी में संदर्भित दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। यदि उस श्रेणी से कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे बैकलॉग को अन्य पात्र दिव्यांगजन उम्मीदवारों के बीच परस्पर अदला-बदली द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते कि पद ऐसी दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त निर्धारित किए गए हों।
- xiv. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण: दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार निर्धारित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को समस्तरीय आरक्षण दिया गया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किए गए विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पोस्ट की पहचान की गई है।

बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी	कार्यात्मक आवश्यकता
क) बी - नेत्रहीन, एलवी - कम दृष्टि	एस- बैठना,
ख) एचएच - ऊँचा सुननेवाला	डब्ल्यू- चलना,
ग) एक भुजा, दोनों भुजा, एक टांग, दोनों टांगे, सेरेब्रल पाल्सी, कुछ उपचारित, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल विकृति (एसडी) और स्पाइनल इंजरी (एसआई) बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के।	एमएफ- उंगलियाँ से परिचालन, बीएन- झुकना, एसटी- खड़ा होना, आरडब्ल्यू- पढ़ना व लिखना,
घ) ऑटिसम स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (हल्का), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, मानसिक बीमारी	एसई- देखना, एच- श्रवण,
ड.) उपरोक्त (क) से (घ) तक शामिल बहु दिव्यांगताएं	सी- संप्रेषण

दृष्टि बाधित (वीआई): केवल वे ही दृष्टि बाधित (वीआई) व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो बेहतर इलाज के बाद भी निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से ग्रस्त रहे हैं:

अ. दृष्टिहीनता:

- पूर्णतः दृष्टिहीन होना अथवा
- वास्तविक दृष्टि सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आँख में 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक न हो अथवा
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 10 डिग्री के कोण बनाती हो या उससे भी कम। अथवा

ब. मंद दृष्टि:

- दृष्टि सुधार के बाद बेहतर आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम न हो; अथवा
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा विरुद्ध दिशा में 40 से 10 डिग्री के कम के कोण बनाती हो।

श्रवण बाधित (एच.आई.): बहरापन: वे व्यक्ति जिनके दोनों कानों की श्रवण क्षमता की हानि स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी हो गई हो।

चलने की निःशक्तता (एलडी): केवल वे व्यक्ति लोकोमोटर दिव्यांगता (एलडी) श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं जो प्रमस्तिष्क घात, कुछ रोग मुक्त, बौनापन, पेशीय दुष्प्रेषण और तेजाब हमले से पीड़ित, रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) बिना किसी संबंधित न्यूरोलॉजिकल/अंग की शिथिलता या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं के संचलन और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थ हैं। निम्नलिखित बेंचमार्क वाले दिव्यांग व्यक्ति लोकोमोटर दिव्यांगता में शामिल होते हैं:-

- ओए - एक हाथ प्रभावित (दाहिना या बायां)
- बीए - दोनों हाथ प्रभावित
- ओएल - एक पैर प्रभावित (दाहिना या बायां)
- बीएल - दोनों पैर प्रभावित

ओए और बीए श्रेणी के व्यक्तियों के दूसरे अंग सामान्य रूप से कार्य करना चाहिए।

क. 'कुछ रोग से मुक्त हो चुके' से आशय उस व्यक्ति से है, जिसका कुछ रोग ठीक हो गया है, परंतु वह निम्नलिखित प्रभाव से जूझ रहा है :

- हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंखों और पलकों में संवेदना की कमी व पक्षाघात होना, परंतु कोई स्पष्ट विकृति न होना।
- स्पष्ट विकृति और पक्षाघात होने पर भी जिसके हाथ और पैर सामान्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम हों।
- चरम शारीरिक विकृति के साथ-साथ उसका अधिक उम्र का होना, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकता हो, वहाँ, 'कोढ़ ठीक हो गया है' भाव को उसी अनुसार समझा जाएगा।

ख. 'सेरेब्रल पाल्सी' का आशय उस गैर-विकसनशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति से है जो शरीर और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। इससे मस्तिष्क का कोई एक या अधिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह प्रायः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है।

ग. 'बौनेपन' से आशय ऐसी चिकित्सकीय या जेनेटिक स्थिति से है, जिससे किसी व्यक्ति की लम्बाई 4 फुट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम रह जाती है।

घ. 'मांसपेशीय दुर्विकार' से आशय ऐसे वांशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोग समूह से है जो उन मांसपेशियों को कमजोर करता है, जिनसे मानव शरीर गतिशील होता है। बहु मांसपेशीय दुर्विकार से पीड़ित व्यक्ति के जीन में गलत और अधूरी जानकारी होती है, जिससे उनकी स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बननी बाधित हो जाती है। इसे विकसनशील स्केलेटल मांसपेशीय कमजोरी के रूप में माना जाता है, यह मांसपेशीय प्रोटीन को कुप्रभावित करती है, इससे मांसपेशीय सेल और टिश्युज मृत हो जाते हैं।

ड. 'एसिड अटैक पीड़ित' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो एसिड या इसी तरह के क्षयकारी तत्व फेंकने से कुरूप हो गए हो।

'डी एवं ई': केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे इस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क. "विनिर्दिष्ट ज्ञानार्जन दिव्यांगता" (एसएलडी) से स्थितियों का एक ऐसा मिश्रित समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने में कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डिस्लेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रक्सिया तथा विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी शामिल हैं।

ख. "मानसिक रुग्णता" (एमआई) से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचानने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है विशेषकर जिसकी बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

ग. "स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार (अत्यल्प)" (एसडी-एम) से एक ऐसी न्यून-विकास संबंधित स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्षों में उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आम तौर पर यह असामान्य या एक जैसे कार्य या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

घ. "बहु दिव्यांगता" का अर्थ उपरोक्त (क) से (घ) तक शामिल कई दिव्यांगताएं हैं।

नोट: केवल निर्दिष्ट निःशक्तता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र हैं और उनकी निर्दिष्ट निःशक्तता को यदि मापन योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है, तो वह 40% से कम नहीं होनी चाहिए और यदि निर्दिष्ट निःशक्तता को मापन योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, तो ऐसी निःशक्तता वाले व्यक्ति, जिसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसमें शामिल होंगे।

आरक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकारी या किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी नवीनतम दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। प्रमाणपत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि या उससे पहले का होना चाहिए।

xv. **स्थानांतरण नीति:** बैंक ऐसे अधिकारियों की सेवाओं का स्थानांतरण भारत में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी कार्यालय में करने या उन्हें अपने किन्हीं सहयोगियों/अनुषंगियों के पास या किसी अन्य संस्था के पास तैनात करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो सेवा की अनिवार्यताओं पर निर्भर होगा। किसी विशिष्ट स्थान/कार्यालय पर नियुक्ति/स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पदों को गैर-बैंकिंग विशेषज्ञ-स्थानांतरणीय श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

xvi. **करियर पथ:** उपलब्ध करियर पथ वही है जो मौजूदा सनदी लेखाकारों के लिए लागू है, इन अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध होगा। हालाँकि, पदोन्नति के अवसर रक्तियों और तत्समय में प्रचलित मानव संसाधन नीतियों पर निर्भर करेंगे। ये विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारी विशेषज्ञ संवर्ग में ही रहेंगे और इन्हें सामान्य संवर्ग में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

xvii. **मेरिट सूची:** चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट अंक प्राप्त करने पर (निर्दिष्ट सीमा पर एक समान अंक होने पर), ऐसे उम्मीदवारों की मेरिट सूची में उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में रैंक प्रदान की जायेगी।

घ. जॉब प्रोफाइल और प्रमुख उत्तरदायित्व के क्षेत्र:

जॉब प्रोफाइल

भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्य/गतिविधि

इंडियन एएस:

- आईजीएपी से इंडियन एएस में रूपांतरण: इंडियन एएस और बैंक पर इसके निहितार्थ का अध्ययन।
- इंडियन एएस के अनुपालन में स्टैंडअलोन वित्तीय स्टेटमेंट्स की तैयारी।
- इंडियन एएस के अनुपालन में समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस), जिसमें सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी शामिल हैं, तैयार करने के लिए टेम्पलेट तैयार करना।
- वित्तीय विवरण (आईएफसीओएफआर) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ज्ञान, बैंक में आईएफसीओएफआर का कार्यान्वयन/निगरानी/सुधार।
- भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामक अनुपालन, लेखांकन मानकों और इंडियन एएस के लिए सुचारू स्थानांतरण के लिए बैंक में उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

प्रत्यक्ष कर - कॉर्पोरेट कर:

- विभिन्न ग्राहक संबंधी रिटर्न की तैयारी और फाइलिंग और संशोधित रिटर्न जैसे कि फॉर्म 61, वित्तीय लेनदेन का विवरण, फॉर्म 15सीसी, कॉर्पोरेट स्तर पर बैंक के लिए फॉर्म 26क्यूए। इसके अतिरिक्त संबंधित ग्राहक की शिकायत दूर करना।
- बैंक से संबंधित विभिन्न टैक्स डायरेक्ट रिटर्न और फॉर्म और संशोधित रिटर्न तैयार करना जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, 80एलए प्रमाणीकरण, दोहरे कराधान राहत - फॉर्म67, आयकर रिटर्न, करों का भुगतान, विभिन्न टीडीएस/टीसीएस के दावों का समाधान हिसाब-किताब के साथ और फॉर्म 26एएस।
- आयकर विभाग द्वारा जारी विभिन्न नोटिस/मूल्यांकन/आदेश जैसे कि आयकर अधिनियम के विभिन्न अनुभागों के तहत व्यवहार करना। कर मुकदमेबाजी को संभालना और आवश्यक कार्रवाई करना।
- सीबीडीटी/आरबीआई द्वारा जारी नई अधिसूचनाओं/परिपत्रों की निगरानी, प्रभाव विश्लेषण और आयकर अधिनियम के अनुपालन में आवश्यक प्रणाली बदलाव शुरू करना।
- विभिन्न आयकर प्राधिकारियों, बैंक के विभागों और परामर्शदाताओं के साथ संपर्क स्थापित करना और आगे की कार्रवाई करना।

टीडीएस:

- बैंक के लिए मासिक टीडीएस/टीसीएस प्रेषण की तैयारी और बीजीएल के साथ सामंजस्य।
- विभिन्न ग्राहक/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों से संबंधित टीडीएस/टीसीएस रिटर्न और संशोधित रिटर्न की तैयारी और फाइलिंग जैसे फॉर्म 24क्यू, 26क्यू, 27क्यू, 15सीए, 27क्यूई, 15जी/एच, टीआरएसीईएस डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट स्तर पर समग्र रूप से बैंक के लिए औचित्य रिपोर्ट।
- इसके साथ ही ग्राहक की संबंधित शिकायत से निपटना।
- आयकर विभाग द्वारा विभिन्न अनुभाग आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए विभिन्न नोटिस/मूल्यांकन/आदेशों के साथ व्यवहार करना। कर मुकदमेबाजी को संभालना और आवश्यक कार्रवाई करना।
- विभिन्न रिटर्न और हिसाब किताब और टीआरएसीईएस डिफॉल्ट का मिलान।
- सीबीडीटी/आरबीआई द्वारा जारी नई अधिसूचनाओं/परिपत्रों की निगरानी, प्रभाव विश्लेषण और आयकर अधिनियम के अनुपालन में आवश्यक प्रणाली बदलाव शुरू करना।
- विभिन्न आयकर प्राधिकारियों, बैंक के विभागों और परामर्शदाताओं के साथ संपर्क स्थापित करना और आगे की कार्रवाई करना।
- टीडीएस/टीसीएस की उचित गणना और उसके बारे में रिपोर्टिंग के लिए धाराओं के विभिन्न अनुप्रयोगों में परिवर्तन करना।

जीएसटी:

- बैंक की मासिक जीएसटी देयता की गणना, बैंक के हिसाब किताब के साथ जीएसटी का सामंजस्य, सलाहकार से परामर्श और जीएसटी दायित्व का निर्वहन।
- खरीद रजिस्टर और हिसाब किताब के साथ जीएसटीआर 2ए के भी मिलान के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा।
- रिटर्न भरना (जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 7 मासिक/जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी वार्षिक)।
- आवश्यक होने पर जीएसटी कानून के तहत स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से जीएसटी ऑडिट करना।
- संबंधित जीएसटीआईएन के लिए जीएसटी अधिकारियों द्वारा ऑडिट कराना।
- जीएसटी कानून और उसके कार्यान्वयन में परिवर्तन का आकलन। इसके कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को और सलाह देना।

प्रमुख उत्तरदायित्व के क्षेत्र

- एसबीआई समूह के लिए लेखांकन स्टैंडर्ड/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एसबीआई के स्टैंडअलोन खालों/एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सुनिश्चित करना.
- भारतीय लेखा मानकों (इंडियन एएस) के अनुसार अंतिम समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना.
- आरबीआई/जीओआई/आयकर/जीएसटी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन/अनुपालन और इस संबंध में आवश्यक प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना.
- आयकर/जीएसटी के तहत विभिन्न रिटर्न की तैयारी, समय पर भरा जाना. प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष कर विभागों द्वारा जारी विभिन्न नोटिसों पर समय पर प्रतिक्रिया और कार्रवाई. सभी ग्राहकों, विक्रेताओं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए समयबद्ध तरीके से कर संबंधी प्रमाणपत्रों को एक ही स्थल पर तैयार कराना.
- कर/लेखा संबंधी मामलों पर मत/स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाना.
- सेबी/आरबीआई/कर प्राधिकारियों की आवश्यकतानुसार डेटा तैयार करना.
- वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओएफआर), बैंक में (आईएफसीओएफआर) के कार्यान्वयन/निगरानी/सुधार का ज्ञान.
- विशेष कर/लेखा मामलों के बारे में बैंक के लेखा परीक्षकों/सलाहकारों के साथ चर्चा और विश्लेषण.
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर कानून में संशोधन और बैंक पर उनके प्रभाव का प्रलेखन और विश्लेषण. बैंक में इस तरह के संशोधनों का उचित कार्यान्वयन और अनुपालन आवश्यक प्रणाली विकास और शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र निर्देशों के माध्यम से सुनिश्चित करना.
- टीडीएस/ जीएसटी से संबंधित ग्राहक शिकायतों का समय पर समाधान.
- कर/ जीएसटी/ लेखा/ आईएफसीओएफआर और वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों के लिए आईटी/ जीएसटी/ आरबीआई/ आईसीआई के साथ संपर्क.
- शाखाओं और अन्य कार्यालयों के बीच टीडीएस/ जीएसटी/ आईएफआरएस/ आईएफसीओएफआर के विषय में जागरूकता पैदा करना.

टिप्पणी: ऊपर वर्णित कार्य रूपरेखा/केआरए उदाहरण स्वरूप में हैं. बैंक द्वारा उपर्युक्त पदों के लिए ऊपर वर्णित भूमिका/कार्य/केआरए के अलावा समय-समय पर अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं.

ड. चयन प्रक्रिया: चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार पर आधारित होगा.

- ❖ **शॉर्टलिस्टिंग:** न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. बैंक द्वारा गठित शॉर्टलिस्टिंग समिति शॉर्टलिस्टिंग मानदंड निर्धारित करेगी और उसके पश्चात् बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे. साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाये जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा. इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा.
- ❖ **साक्षात्कार:** साक्षात्कार 100 अंकों का होगा. साक्षात्कार में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे. इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा.
- ❖ **मेरिट सूची:** चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी. एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट अंक प्राप्त करने पर (निर्दिष्ट सीमा पर एक समान अंक होने पर), ऐसे उम्मीदवारों की मेरिट में उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में रैंक प्रदान की जायेगी.

च. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर/ सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. कोई कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी.

छ. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों की सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए. इससे उसे अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल या मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश:	शुल्क भुगतान के लिए दिशानिर्देश:
<p>i. उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट https://bank.sbi/careers/current-openings पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें और इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें.</p> <p>ii. उम्मीदवार सर्वप्रथम अपने नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करें. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवार अपनी फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन पंजीकरण पेज पर बताए अनुसार अपलोड ('दस्तावेज अपलोड कैसे करें' के अंतर्गत) नहीं कर देता/देती.</p> <p>iii. उम्मीदवार आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें. आवेदन पूरी तरह से भरने के बाद ही उम्मीदवार इसे प्रस्तुत करें. यदि एक बार में उम्मीदवार आवेदन नहीं भर पाता है, तो वह पहले से प्रविष्ट जानकारी को सेव कर सकता/सकती है. जब जानकारी/आवेदन को सेव किया जाएगा तो एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड सिस्टम द्वारा बन कर आ जाएगा और यह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. उम्मीदवार इस पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को नोट कर लें. वे इस सेव किए हुए आवेदन को पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का प्रयोग कर फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो दिए गए विवरण में संशोधन कर सकते हैं. सेव की गई जानकारी को इस तरह से बदल कर संशोधन करने की अनुमति मात्र तीन बार तक होगी. आवेदन जब पूरी तरह से भरा जाएगा तब उम्मीदवार को चाहिए कि वह इसे प्रस्तुत करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें.</p> <p>iv. ऑनलाइन पंजीकरण हो जाने के बाद, उम्मीदवारों को यह सूचना दी जाती है कि वे सिस्टम के बनाए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों को प्रिन्ट कर लें.</p> <p>v. आयु सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों को कार्य-ग्रहण करते समय जरूरी प्रमाणपत्र (पत्रों) की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी. ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के पश्चात, किसी उम्मीदवार की श्रेणी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है.</p>	<p>i. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और सूचना प्रभार (अप्रतिदेय) ₹750/- है (सात सौ पचास रुपए मात्र) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क/सूचना प्रभार नहीं है.</p> <p>ii. आवेदन पत्र के विवरण सही हैं यह सुनिश्चित कर लेने के बाद उम्मीदवार द्वारा आवेदन के साथ एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके बाद आवेदन में कोई परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी.</p> <p>iii. शुल्क का भुगतान वहां उपलब्ध भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन ही करना होगा. भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग आदि द्वारा स्क्रीन पर बताई जानकारी के अनुसार किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान करते समय यदि कोई लेनदेन शुल्क लागू हो तो वह उम्मीदवारों को ही वहन करना होगा.</p> <p>iv. भुगतान कार्य सफलतापूर्वक हो जाने के बाद उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने की तारीख के साथ ई-रसीद और आवेदन फॉर्म बनेगा जिसे प्रिन्ट कर उम्मीदवार अपने पास रख ले.</p> <p>v. यदि पहली बार में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन भुगतान के लिए फिर से प्रयास करें.</p> <p>vi. शुल्क विवरणों सहित ई-रसीद और आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट फिर से करने का भी प्रावधान है.</p> <p>vii. एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी तरह से वापस नहीं लौटाया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या फिर भावी चयन के लिए समायोजित किया जाएगा.</p>

ज. प्रलेखों को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले प्रलेखों का विवरण:

- नवीनतम फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- विस्तृत रेस्यूमे (पीडीएफ)
- आईडी प्रमाण (पीडीएफ)
- जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) (पीडीएफ)
- पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणन, (यदि लागू हो) (पीडीएफ)
- शैक्षणिक योग्यता: संगत अंक तालिका/ डिग्री प्रमाणपत्र (पीडीएफ)
- अनुभव प्रमाण पत्र (पीडीएफ)
- फॉर्म-16/प्रस्ताव पत्र/वर्तमान नियोक्ता से नवीनतम वेतन पर्ची (पीडीएफ)
- वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) (सरकारी संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कार्य करने पर अनिवार्य)

ब. फोटोग्राफ फाइल टाइप/साइज:

- पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए.
- फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी और डायमेंशन 200X230 पिक्सल (अधिमानतः) तक होना चाहिए.
- यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.
- तनावमुक्त होकर कैमरे में सामने की ओर देखें.
- फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई छाया न पड़े.
- यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें रैड-आई नहीं है.
- यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
- टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि जैसी बातें स्कैनर पर सेट करके समायोजित कर लें.

स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार:

- आवेदक सफेद कागज पर काली पैन से हस्ताक्षर करें.
- हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे न कि कोई अन्य व्यक्ति.
- कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां हस्ताक्षर करें.
- फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच का हो और डायमेंशन 140X60 पिक्सल (अधिमानतः) हो.
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है.
- अंग्रेज़ी के केपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

द. प्रलेख की फाइल का प्रकार/आकार:

- सभी दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में हों.
- प्रलेख के पेज का आकार ए4 का हो.
- फाइल का आकार 500 केबी से अधिक का न हो.
- प्रलेख को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए प्रलेख साफ और पढ़े जा सकने लायक हैं.

य. फोटो/हस्ताक्षर/प्रलेखों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

- स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स पर इन्च) पर रखें.
- कलर को टू कलर पर सेट करें.
- फोटो/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके फोटो को स्कैन करें फिर फोटो को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
- फोटो/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे)
- इमेज के आयाम फोल्डर/फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयकॉन पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है
- जो उम्मीदवार एमएस विन्डोज़/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमशः 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसके लिए एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फॉर्मेट से जेपीजी (jpg) फॉर्मेट में सेव किए जा सकते हैं. इसके लिए फाइल मेन्यू में 'सेव ऐज़' के विकल्प का प्रयोग करना होगा. इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्स्ल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है. इसी तरह से अन्य फोटो एडिटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं.
- ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके.

र. प्रलेख अपलोड करने की प्रक्रिया:

- प्रत्येक प्रलेख को अपलोड करने हेतु अलग से लिंक दिए जाएंगे.
- “अपलोड” का संबंधित लिंक क्लिक करें.
- ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ, डीओसी या डीओसीएक्स फाइल को सेव किया गया है.
- फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें.
- आवेदन सबमिट करने से पहले प्रलेख अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटि का संदेश आएगा.
- प्रलेख अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/परिवर्तित नहीं हो सकेंगे.
- ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद उम्मीदवार जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं. फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/सकती है. **फोटो पर चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.**

झ. सामान्य जानकारी:

- i. पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्तवर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/करती है और उसके द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा सभी प्रकार से सही है.
- ii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जैसे उम्मीदवार जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है, सामान्य श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वे सामान्य श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों.
- iii. भर्ती के किसी भी स्तर पर यदि ऐसा पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो और/या यह कि उसने गलत/झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (रियां) छिपाई है तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसके नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
- iv. आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और सही एवं पूरी तरह से भरा गया है.
- v. चयनित उम्मीदवार कि नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित किए जाने के अधीन है. इस तरह कि नियुक्ति बैंक में ऐसे पद के लिए बैंक के सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी, जो बैंक में भर्ती होने के समय लागू थे.
- vi. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी एवं मोबाईल फोन नंबर को सक्रिय रखें.
- vii. किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
- viii. जो उम्मीदवार सरकार/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उन्हें सूचना दी जाती है कि वे साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और वे यदि किसी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, तो उन्हें उसका भुगतान नहीं किया जाएगा.
- ix. चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियुक्ति प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित डिस्चार्ज बुक प्रस्तुत करें.
- x. उम्मीदवारों को उन्हीं के हित के लिए यह सूचना दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतजार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर भारी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. यदि पूर्वोक्त कारणों से यदि एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.
- xi. पात्रता, साक्षात्कार आयोजित किए जाने, अन्य परीक्षाएं और चयन के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया जाएगा.
- xii. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है.
- xiii. पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का हकदार नहीं है. बैंक के पास उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच/शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उचित संख्या में ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने का अधिकार सुरक्षित है.
- xiv. एक से अधिक आवेदन के मामले में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा और अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा. एक ही पद के लिए उम्मीदवार के अलग-अलग तरह से प्रस्तुत होने पर उसे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा/ उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा.
- xv. इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही मात्र मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल व एकमात्र अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा.
- xvi. बाहरी उम्मीदवारों, जिन्हें शॉर्ट-लिस्टिंग के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, को वर्तमान पोस्टिंग/निवास, जो भी साक्षात्कार केंद्र के नजदीक हो, के स्थान से वास्तविक यात्रा के आधार पर भारत में सबसे छोटे मार्ग के लिए रेलवे-एसी थ्री टियर (केवल मेल या एक्सप्रेस) द्वारा यात्रा की लागत या ट्रेन टिकट/इन्वाइस की मूल/प्रतियां जमा करने पर भारत में वास्तविक यात्रा लागत (जो भी कम हो) की प्रतिपूर्ति की जाएगी. स्थानीय परिवहन (जैसे टैक्सी/कैब आदि) की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी. यदि कोई उम्मीदवार पद के लिए अपात्र पाया जाता है तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे किसी किराये की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाएगी.
- xvii. बैंक किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से या किसी विशेष पद के लिए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
- xviii. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा. महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर किसी भी समय उम्मीदवारी रद्द/समाप्त कर दी जाएगी, भले ही उम्मीदवार का चयन हो गया हो, ऐसी परिस्थितियों में उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा. बैंक अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है. बैंक ऐसे प्रकटनों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.
- xix. आवेदन पत्र एक बार प्रस्तुत कर दिए जाने पर उसमें किसी भी विवरण (श्रेणी सहित) में परिवर्तन/ सुधार के लिए अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में किसी पत्राचार/फोन/ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन को सावधानी से भरें और आवेदन में सही जानकारी प्रस्तुत करें.

किसी पूछताछ के लिए, कृपया हमसे "CONTACT US" लिंक के ज़रिए लिखें,
जो बैंक की वेबसाइट (URL – <https://bank.sbi/web/careers/post-your-query>) पर उपलब्ध है.

मुंबई
दिनांक: 07.06.2024

मुद्रण की त्रुटियाँ यदि हों, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा.

महाप्रबंधक
(आरपी और पीएम)

आवेदन कैसे करें

<https://bank.sbi/careers/current-openings> पर लॉगिन करें

नीचे स्कॉल करें और संबंधित
विज्ञापन सं. **CRPD/SCO/2024-25/02** पर क्लिक करें



विज्ञापन डाउनलोड करें (विस्तृत विज्ञापन ध्यान पूर्वक पढ़ें)



ऑनलाइन आवेदन करें

(अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले, कृपया अपना आवेदन अच्छी तरह पढ़ लें.
अंतिम प्रस्तुतीकरण के बाद उसमें सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी)



SBI SHINES
FOR BEING THE ONLY
INDIAN BANK AMONG THE

TOP 25

STRONGEST BRANDS GLOBALLY
IN 2024

Brand Finance Report - Global 500 2024
Most Valuable and Strongest Global Brands